न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :— 07 / 2022 तारीख रजू :— 09.02.2022

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह

R.A.S.

श्रीनिवास पुत्र किल्ली जाति पुजारी संजोगी निवासी ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :— 24-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1482 रकबा 2.47 है0, 1484 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 है0 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में प्रार्थी हि01 / 9 का खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की जाति पुजारी संजोगी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति राजस्व कर्मचारियों की गलती से पुजारी संजोगी के स्थान पर कुम्हार (प्रजापति) दर्ज कर दी है। जबकि प्रार्थी की जाति पुजारी संजोगी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के समस्त रिकार्ड में अर्थात प्रार्थी के अन्य खातेदारी की भूमि की रजिस्ट्री में, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र प्रार्थी की जाति पुजारी संजोगी दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की जाति कुम्हार (प्रजापति) न होकर पुजारी संजोगी है। इसलिए [illegible] मद नं01 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर पुजारी संजोगी दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.18 12:41:03 IS
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने दिनांक 18.01.22 को जमाबन्दी की नकल केसीसी के लिए लेने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी द्वारा अपनी जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर अपनी जाति पुजारी संजोगी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने जमाबन्दी को देखकर प्रार्थी को बताया कि जमाबन्दीयों में राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड में पुजारी संजोगी के स्थान पर कुम्हार (प्रजापति) दर्ज कर दी है। इसलिए पहले अपनी जाति को राजस्व न्यायालय में ... प्रार्थना पत्र दायर कर संशोधन कराओ इसके पश्चात ही प्रार्थी की जाति ... की जावेगी तथा पटवारी हल्का ने प्रार्थी की जाति दर्ज करने से इन्कार कर ... । इसलिए प्रार्थना पत्र हाजा दायर किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी खसरा नम्बर 1482, 1484 स्थित ग्राम जमालपुर के राजस्व रिकार्ड के कॉलम में प्रार्थी की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर पुजारी संजोगी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र के रूप में रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1482 रकबा 2.47 है0, 1484 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 है0 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन का हि01/9 रामनिवास पुत्र किल्ली जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसका खाता संख्या 206 है। बिन्दू संख्या 2 सही है। प्रार्थी की जाति पुजारी संजोगी है।बिन्दू सं03 में दर्ज दस्तावेजों में प्रार्थी की जाति पुजारी संजोगी है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 501268530168 रामनिवास शर्मा पुत्र किल्लीराम शर्मा निवासी मधुवन कॉलोनी, झारेडा रोड हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या ...01 प्रकाशी पुत्र किल्ली निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली, प्रमाण पत्र आशा शर्मा वार्ड पार्षद वार्ड सं0 15 अमृतपुरी हिण्डौन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 59/2022 दिनांक 02.02.2022, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.18 12:41:03 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थी की जाति पुजारी किये में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेशकार प्रस्ताव तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत् 76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1482 रकबा 2.47 है0, 1484 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 है0 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन खातेदारी रामनिवास पुत्र किल्ली जाति कुम्हार (प्रजापति) हि0 1/9 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने सेटलमेन्ट वाबिक खसरा नम्बर 750 मिन रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम जमालपुर के नवीन खसरा नम्बर 1482 रकबा 2.47 है0, 1484 रकबा 0.70 है0 कायम किये गये हैं।

नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 1482 रकबा 2.47 है0, 1484 रकबा 0.70 है0 ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास पुत्र किल्ली जाति कुम्हार व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 501268530168 रामनिवास शर्मा पुत्र किल्लीराम शर्मा निवासी मधुवन कोलोनी, झारेडा रोड हिण्डौन जिला करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 501 प्रकाशी पुत्र किल्ली निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है जिसमें रामनिवास का नाम दर्ज रिकार्ड है।

असल प्रमाण पत्र आशा शर्मा वार्ड पार्षद वार्ड सं0 18 अमृतपुरी हिण्डौन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 59/2022 दिनांक 02.02.2022 में दर्ज किया है कि श्री रामनिवास पुत्र श्री किल्ली निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन हालवासी मधुवन कोलोनी हिण्डौन सिटी की जाति संजोगी (ब्राह्मण) पुजारी है। जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। जिनका आधार कार्ड [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.18 12:41:03 IS
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी की जाति पुजारी (संजोगी) है। जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के द्वारा पेश पेश किये गये अन्य दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थी की जाति पुजारी (संजोगी) साबित है तथा तहसीलदार हिण्डौन ने भी अपनी रिपोर्ट/ जबाव में प्रार्थी की जाति पुजारी (संजोगी) सही माना है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति कुम्हार (प्रजापति) के

[illegible] अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

... पर जाति पुजारी (संजोगी) सही कराने का हकदार साबित है। ऐसे हालात में ... का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य ...उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध ...र्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1482 रकबा 2.47 है0, 1484 ...बा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.17 है0 स्थित ग्राम जगालपुर तहसील ...ण्डौन में खातेदार रामनिवास पुत्र किल्ली जाति कुम्हार (प्रजापति) हिस्सा 1/9 ... स्थान पर रामनिवास पुत्र किल्ली जाति पुजारी (संजोगी) हि01/9 समस्त ...जस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाकर ...र्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन का अमल ...रामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। ...त्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर ...हो।

निर्णय आज दिंनाक 24-3-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Andop...
Date: 2022.06.18 12:41:...
Reason: SelfAttested